

कार्यालय महालेखाकार (आ. एवं रा. क्षे. ले. प.) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—WI-II/I-13015/WRD/K-278/2018-19/ D-416

दिनांकः—३१०१८

✓ उप निदेशक जल विज्ञान
जल संसाधन विभाग, जयपुर

विषयः— आपके कार्यालय का ऑडिट सर्टिफिकेट अवधि 2017-18.

आपके कार्यालय के उपरोक्त ऑडिट सर्टिफिकेट की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों की अनुपालना इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 2(3)/एफ.डी./ए.ई.आई./66 दिनांक 05.08.1962 के अनुसार की जाकर इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें। नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी की अनुपालना इस कार्यालय के निर्माण कार्य लेखा परीक्षा दल को आगामी निरीक्षण के समय प्रस्तुत करें जो तत्थान ही अनुपालना की जांच करेगा।

संलग्नः— ऑडिट सर्टिफिकेट की एक प्रति
मय अनुलग्नक

लेखा परीक्षा अधिकारी
डब्ल्यू.आई.-II

क्रमांकः—WI-II/I-13015/WRD/K- 278 /2018-19/ दिनांकः—

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
1. मुख्य अभियन्ता, गुण नियन्त्रण एवं संतरक्ता जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर अनुच्छेद संख्या01..... पर अपनी टिप्पणी अंकित कर अनुपालना प्रेषित करें।
 2. अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,अनुच्छेद संख्या पर अपनी टिप्पणी अंकित कर अनुपालना प्रेषित करें।
 3. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वृत्त - जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 4. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर को अनु. सं. पर अपनी टिप्पणी कर अनुपालना प्रेषित करें।
 5. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/सी.ए.सेल

संलग्नः— ऑडिट सर्टिफिकेट की एक प्रति मय अनुलग्नक

Arv.
670
12/10/18

R.R. No:- 670
12/10/18

लेखा परीक्षा अधिकारी
डब्ल्यू.आई.-II

भाग-॥ ब

अनुसं.01 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित National Hydrology Project (Loan no. 8725-In) के अन्तर्गत अपुनर्भरण योग्य राशि रु. 21.36 लाख।

मुख्य अभियन्ता गुण नियन्त्रण एवं सतर्कता एवं नोडल अधिकारी SPMU-NHP जल संसाधन विभाग जयपुर के अधीन उपनिदेशक (जल विज्ञान) जल संसाधन विभाग जयपुर द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान विश्व बैंक से ऋण सहायता के तहत National Hydrology Project के अन्तर्गत कुल राशि रु. 4272656 विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार से व्यय किया गया।

क्रं.सं.	मद	व्यय राशि रु.
1	प्रशिक्षण पर व्यय	3209228
2	वाहन किराया (टैक्सी चार्ज)	182704
3	यात्रा भत्ता (टीए)	286093
4	प्रशिक्षणार्थियों के भोजन पर व्यय	227068
5	रेन गेज क्य पर व्यय	208874
6	स्टेशनरी व्यय	155769
7	अन्य कार्यालय व्यय	2900
	योग	4272656

National Hydrology Project (Loan No.8725-In) के लिए विश्व बैंक से किए गए लोन एग्रीमेन्ट की शर्तों (अनुसूची 2 के अनुभाग 4 के बिन्दु संख्या 2) के अनुसार व्यय श्रेणी (1) के अन्तर्गत योजना अधीन वर्कशाप व प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत राशि देय कर सहित ही पुनर्भरण योग्य है पुनर्भरण दावों की समीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा 100 प्रतिशत राशि 4272656 के दावे पुनर्भरण हेतु किए गये हैं। अतः 50 प्रतिशत से अधिक अपुनर्भरण योग्य राशि रु. 2136328 का दावा किया जाना अनियमित है।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को, टिप्पणी हेतु जारी लेखापरीक्षा ज्ञापन सं.ई.एस-गा/डब्ल्यूआई./दल सं. 09/ज्ञापन सं. 03 दिनांक 06.09.2018 के प्रतिउत्तर पत्रांक 1702 दिनांक 06.09.18 द्वारा अवगत कराया कि भारत सरकार एवं जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर एम.ओ.ए. दिनांक 14.10.16 के अनुसार National Hydrology Project as a central sector scheme हेतु राज्य कार्यकारी संस्था (State Implementing Agency) को 100 प्रतिशत राशि (पूर्ण परियोजना राशि रु. 128 करोड़) ग्रान्ट इन एड (Grant in add) के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

इस कार्यालय द्वारा वर्कशाप व प्रशिक्षण के कार्यों पर व्यय की पूर्ण राशि रु. 4272056/- के दावे पुनर्भरण योग्य है। लेखापरीक्षा इससे सहमत नहीं है। भारत सरकार के पत्रांक F.No.X-92021/1/2016-NHP/1118-1258 दिनांक 23.06.16 के अनुसार Fifty percent of the amount will come as world Bank loan and the remaining 50% as budgetary support from Government of India for both the Stage अतः पुनर्भरण दावे की राशि में संशोधन करते हुए दावा प्रस्तुत कर लेखापरीक्षा को अवगत करावें।

प्रकरण मुख्य अभियंता गुण नियंत्रण एवं सर्तकता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को टिप्पणी हेतु ध्यान में लाया जाता है।

ପ୍ରକାଶ